

प्रेस नोट दिनांक-25.04.2025

(ऑपरेशन कन्विकशन)

◆ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।

◆ मा० न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री पारितोष श्रेष्ठ (अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 02 वर्ष का कठोर कारावास व 10000 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना अलीनगर के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 17.04.2011 को धारा- 3(1) यू०पी० गैंगे० एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.आबिद उर्फ प्रिन्स पुत्र ताहिर शेख निवासी रेवसा थाना अलीनगर चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 262/2007 धारा 3(1) यू०पी० गैंगे० एक्ट थाना अलीनगर में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व श्री शिवराज सिंह (एडीजीसी) व थाना अलीनगर के पैरोकार का० संजीत कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-25.04.2025 को मा० न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री पारितोष श्रेष्ठ (अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त 1.आबिद उर्फ प्रिन्स पुत्र ताहिर शेख निवासी रेवसा थाना अलीनगर चन्दौली को 02 वर्ष का कठोर कारावास व 10000 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

(ऑपरेशन कन्विक्शन)

◆ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।

◆ मा० न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री पारितोष श्रेष्ठ (अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 02 वर्ष का कठोर कारावास व 10000 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना अलीनगर के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 17.04.2010 को धारा- 3(1) यू०पी० गैंगे० एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.आबिद उर्फ प्रिन्स पुत्र ताहिर शेख निवासी रेवसा थाना अलीनगर चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 143/2010 धारा 3(1) यू०पी० गैंगे० एक्ट थाना अलीनगर में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व श्री शिवराज सिंह (एडीजीसी) व थाना अलीनगर के पैरोकार का० संजीत कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-25.04.2025 को मा० न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री पारितोष श्रेष्ठ (अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त 1.आबिद उर्फ प्रिन्स पुत्र ताहिर शेख निवासी रेवसा थाना अलीनगर चन्दौली को 02 वर्ष का कठोर कारावास व 10000 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

◆ थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा 24 घंटे के अंदर चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी में संलिप्त 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

◆ अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की हुई ई-रिक्शा की 04 बैटरी बरामद

चंदौली- श्री मोहित गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी के निर्देशन में आदित्य लांगहे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने व प्रभावी तरीके से रात्रि कालीन चेंकिंग किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली अनन्त चन्द्रशेखर व क्षेत्राधिकारी पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर राजीव सिसौदिया के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम आज दिनांक 24.04.2025 को 15.05 बजे मुखबिर की सूचना के आधार पर आलमपुर नहर के पास थाना अलीनगर से मु०अ०सं० 124/2025 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त 1. कैफ खान पुत्र शहजाद खान निवासी ग्राम परशुरामपुर (स्लामपुर) थाना अलीनगर जपनद चन्दौली उम्र करीब 19 वर्ष 2. रोशन चौहान पुत्र दयाशंकर चौहान निवासी ग्राम परशुरामपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार कर उनके पास अभियोग से सम्बन्धित ई-रिक्शा की 04 बैटरी को बरामद कर लिया गया। वादी मुकदमा को मौके पर बुलाकर बरामदशुदा माल की पहचान सुनिश्चित कराया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.04.2025 को समय करीब 2.30 बजे भोर में 02 व्यक्तियों द्वारा वादी के ई-रिक्शा की 04 बैटरी चुरा लिया गया था। सीसीटीवी कैमरे के अवलोकन से दोनो व्यक्तियों की पहचान 1. कैफ खान पुत्र शहजाद खान निवासी ग्राम परशुरामपुर (स्लामपुर) थाना अलीनगर जपनद चन्दौली उम्र करीब 19 वर्ष 2. रोशन चौहान पुत्र दयाशंकर चौहान निवासी ग्राम परशुरामपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र करीब 19 वर्ष के रूप में किया गया था। तथा आज मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण –

1. कैफ खान पुत्र शहजाद खान निवासी ग्राम परशुरामपुर (स्लामपुर) थाना अलीनगर जपनद चन्दौली उम्र करीब 19 वर्ष
2. रोशन चौहान पुत्र दयाशंकर चौहान निवासी ग्राम परशुरामपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र करीब 19 वर्ष

गिरफ्तारी बरामदगी का दिनांक समय व स्थान–

दिनांक – 24.04.2025

समय – 15.05 बजे

स्थान – आलमपुर नहर के पास थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 124/2025 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण–

04-ई रिक्शा की बैटरी बरामद-

1. कम्पनी TUFF BULL E-RICKSHAW, MODEL- DP 1518 XL, ITEM CODE-I00127, S/NO. DP1518XL7236110516,

2.कम्पनी TUFF BULL E-RICKSHAW, MODEL- DP 1518 XL, ITEM CODE-I00127, S/NO. DP1518XL7236110493,
3.कम्पनी TUFF BULL E-RICKSHAW, MODEL- DP 1518 XL, ITEM CODE-I00127, S/NO. DP1518XL7236110273,
4.कम्पनी TUFF BULL E-RICKSHAW, MODEL- DP 1518 XL, ITEM CODE-I00127, S/NO. DP1518XL7236110339

गिरफ्तारी व बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

- 1.निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
- 2.उ0नि0 अमित कुमार सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
- 3.हे0का0 कमलेश पाण्डेय थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

थाना अलीनगर जनपद चंदौली

◆थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा एक पिकअप व एक आटो में क्रूरतापूर्वक लादकर वध हेतु पश्चिम बंगाल ले जा रहे कुल 04 राशि गोवंश को बरामद किया गया।

◆तस्करी में संलिप्त 02 शातिर गौतस्करो को किया गया गिरफ्तार

चंदौली- श्री मोहित गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी के निर्देशन में आदित्य लांगहे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा जनपद में गोवंशों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अपराध में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवम् जुर्म जरायम के रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली व क्षेत्राधिकारी पं.दी.उ.नगर राजीव सिसौदिया के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा के नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम द्वारा 01 पिकअप व 01 आटो में क्रूरतापूर्वक लादकर वध हेतु पश्चिम बंगाल ले जा रहे कुल 04 गोवंश को बरामद कर, तस्करी में संलिप्त 02 शातिर गौतस्करो को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु0अ0सं0 127/2025 धारा धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस कार्यवाही-

आज दिनांक 25.04.2025 को थाना अलीनगर पुलिस द्वारा समय करीब 09.00 बजे एसके हास्पिटल पचफेड़वा पर चेकिंग की जा रही थी चेकिंग के दौरान एक पिकअप संख्या UP65DT3063 व एक आटो वाहन BAJAJ MAXIMA संख्या UP65KT3340 भी आ गये, चेकिंग होते देख दोनों वाहनों के चालक वाहन से उतर कर भागना चाहे कि मौके पर मौजूद पुलिस बल द्वारा दोनों चालकों को एक बारगी दबिश देकर पकड़ लिया गया तत्पश्चात वाहनों को सड़क के किनारे लगवाकर पकड़े गये व्यक्तियों से बारी-बारी से नाम पता पूछा गया तो वाहन संख्या UP65DT3063 पिकप के चालक की पहचान दिलीप कुमार पुत्र जगदीश राजभर निवासी ग्राम मानिकपुर थाना अदलाहट जनपद मिर्जापुर उम्र 25 वर्ष के रूप में हुई व दूसरे वाहन BAJAJ MAXIMA संख्या UP65KT3340 के चालक की पहचान रमेश पटेल पुत्र सुग्रीव पटेल निवासी मन्नापुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र 21 वर्ष के रूप में हुई। उक्त दोनों पिकअप वाहनों से 02-02 राशि गौवंश कुल 04 राशि गोवंश बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 127/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. दिलीप कुमार पुत्र जगदीश राजभर निवासी ग्राम मानिकपुर थाना अदलाहट जनपद मिर्जापुर उम्र 25 वर्ष
2. रमेश पटेल पुत्र सुग्रीव पटेल निवासी मन्नापुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र 21 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 127/2025 धारा धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चंदौली

गिरफ्तारी व बरामदगी का दिनांक, समय व स्थान –

दिनांक - 25.04.2025

समय - 09.00 बजे

स्थान –एसके हास्पिटल पचफेड़वा पर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी-

1. वाहन संख्या UP65DT3063 पिकप से 02 राशि

- 2.इन्ट्रा वाहन BAJAJ MAXIMA संख्या UP65KT3340 02 राशि गोवंश बरामद
- 3.कुल 02 वाहनों से 04 राशि गोवंश बरामद किया गया

गिरफ्तारी व बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

- 1.प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
- 2.उ०नि० अनन्त कुमार भार्गव चौकी प्रभारी भूपौली थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
- 3.हे०का० कमलेश पाण्डेय थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
- 4.हे०का० रोशन यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
- 5.का० सुनील यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली